



RS280-III/6

१३-३०/—

धिनोद कुमार पाण्डेय तनय श्री मंगलेश्वर प्रसाद पाण्डेय निवासी निपनिया
रीवातह० हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०.

---- आवेदक

बनाम

- 01-श्रीमती शान्ती देवी पत्नी भोला नाथ तिवारी निवासी ग्राम बेलवा
पैकान, तह० मगवा, रीवा, म०प्र०.
- 02- अमिता देवी पत्नी जितेन्द्र कुमार दुबे निवासी इन्द्रा नगर रीवा तह०
हुजूर, जिला रीवा, म०प्र०.
- 03- म०प्र० राज्य

---- अनावेदकगण.

श्री. सविन्द्र कुमार
द्वारा आज दिनांक 27.6.16
प्रस्तुत किया गया।
सिद्ध
सर्टिफिकेट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश अमर कलेक्टर
रीवा जिलारीवा दिनांक 21.06.016
जो प्रकरण क्र० 44/अ-74/मूल/15-16 मे
पारित किया जाकर अनावेदिका क्र० 1
द्वारा प्रस्तुत नक्का सुधारका आवेदन प्रचलन
योग्य माना वषाया गया ।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू० र०
संहिता 1959 ई० ।

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-


- 1011 यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक
21.06.016 विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5280-II/16

जिला-रीवा

विनोद कु० पाण्डेय/शान्ती देवी

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	